



पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत नगर, पत्रालय-डी0एल0डब्लू0
वाराणसी,

दिनांक 15 जून, 2013

वाराणसी

प्रेस-विज्ञप्ति

आज दिनांक 15.06.2013 को श्री आलोक कुमार, आई0ए0एस0, प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी द्वारा पूर्वांचल विद्युत भवन, वाराणसी के सभागार में पूर्वांचल के वाराणसी/इलाहाबाद/गोरखपुर/आजमगढ़/बस्ती/मिर्जापुर क्षेत्र के समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), अधीक्षण अभियन्ता (वितरण/भण्डार/कार्य), की बिजनेस प्लान व व्यापार विकास निधि योजना वर्ष 2013-2014 के लिए कार्य योजना, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित राजकीय नलकूपों के ऊर्जीकरण, पेयजल योजना से सम्बन्धित नलकूपों के ऊर्जीकरण की प्रगति, वर्ष 2013-14 हेतु डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के लिए कार्य योजना, उपभोक्ताओं को बिल निर्गत किये जाने की स्थिति, सांसद निधि/विधायक निधि/पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत सामग्री निर्गत किये जाने की प्रगति व सरकारी कालोनियों में विद्युत की मीटरिंग कराने एवं विद्युत बिल को जमा कराये जाने इत्यादि बिन्दु की समीक्षा बैठक की गयी।

प्रबन्ध निदेशक ने बैठक में बताया कि बिजनेस प्लान व व्यापार विकास निधि वर्ष 2013-2014 के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण में क्रमशः रू0 201.76 करोड़ व 48.24 करोड़ की कार्य योजना बनायी गयी जिसमें 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र में 55 उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि बिजनेस प्लान के अन्तर्गत किया जाना है तथा 15 उपकेन्द्र की व्यापार विकास निधि के अन्तर्गत क्षमता वृद्धि किया जाना है, नये परिवर्तक क्य किये जाने है तथा बिजनेस प्लान व व्यापार विकास निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे वितरण परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि, जर्जर तारों को बदलना, जर्जर पोल को बदलना, वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए नये सिंगल फेज व थ्री फेज मीटर क्य किये जाने है, ए0बी0सी0 लगाने का कार्य इत्यादि।

श्री आलोक कुमार, प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में वर्ष 2011-2012 में 402 नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध 383 राजकीय नलकूप ऊर्जीकृत कर दिये गये शेष 18 नलकूप निस्प्रोजय घोषित कर दिये गये है, जिसमें वाराणसी क्षेत्र को 94 का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध 84 राजकीय नलकूप ऊर्जीकृत कर दिये गये है, मिर्जापुर क्षेत्र को 35 का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध 31 राजकीय नलकूप ऊर्जीकृत कर दिये गये है, इलाहाबाद क्षेत्र को 103 का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध 98 राजकीय नलकूप ऊर्जीकृत कर दिये गये है, आजमगढ़ क्षेत्र को 44 का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध 44 राजकीय नलकूप ऊर्जीकृत कर दिये गये है, गोरखपुर क्षेत्र को 78 का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध 78 राजकीय नलकूप ऊर्जीकृत कर दिये गये है, बस्ती क्षेत्र को 48 का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध 48 राजकीय नलकूप ऊर्जीकृत कर दिये गये है वर्ष 2012-2013 में पूर्वांचल में 241 राजकीय नलकूप ऊर्जीकृत किया जाना था जिसके विरुद्ध व्यय किये जाने वाली धनराशि मार्च, 2013 में प्राप्त हुयी है, जिनके सामग्री प्राप्त करने हेतु इण्डेन्ट सम्बन्धित भण्डार मे प्रेषित किये जा चुके है, सामग्री प्राप्त होने पर ऊर्जीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

श्री आलोक कुमार, प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में शहरी क्षेत्र मे पेयजल योजना में कुल 207 नलकूपों को ऊर्जीकृत किया जाना था जिसके विरुद्ध 177 नलकूप ऊर्जीकृत कर दिये गये है शेष 30 नलकूपों को शीघ्र ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र मे पेयजल योजना में कुल 347 नलकूपों को ऊर्जीकृत किया जाना था जिसके विरुद्ध 302 नलकूप ऊर्जीकृत कर दिये गये है शेष 45 नलकूपों को शीघ्र ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा।

श्री आलोक कुमार, प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि शासन की नीति के अनुरूप पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में वर्ष 2013-14 हेतु डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के लिए कार्य योजना बनायी गयी है जिसमें कुल 750 राजस्व ग्राम तथा 1597 मजरे चयनित किये गये है रू0 13150.47 लाख व्यय होगा।

प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बैठक में बताया कि माह मई, 2013 में पूरे पूर्वांचल में कुल 3595731 उपभोक्ताओं में से लगभग 96.78 प्रतिशत उपभोक्ताओं को ही बिल निर्गत हुये जिसपर प्रबन्ध निदेशक द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा शतप्रतिशत उपभोक्ताओं को बिल निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में 69.59 प्रतिशत उपभोक्ताओं को बिल निर्गत किये गये जो चिन्ता का विषय है।

प्रबन्ध निदेशक, पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि0 बताया कि दिनांक 10.06.2013 तक सांसद निधि के अन्तर्गत पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम को सामग्री हेतु 997 इण्डेन्ट प्राप्त हुये है जिसमे 597 इण्डेन्ट के विरुद्ध पूर्ण सामग्री निर्गत कर दिया गया है तथा 228 इण्डेन्ट के विरुद्ध आधे सामग्री निर्गत कर दिये गये है। विधायक निधि के अन्तर्गत पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम को सामग्री हेतु 869 इण्डेन्ट प्राप्त हुये है जिसमे 470 इण्डेन्ट के विरुद्ध पूर्ण सामग्री निर्गत कर दिया गया है तथा 223 इण्डेन्ट के विरुद्ध आधे सामग्री निर्गत कर दिये गये है। इसी तरह पूर्वाञ्चल विकास निधि के अन्तर्गत 299 इण्डेन्ट प्राप्त हुए है जिसमे 88 इण्डेन्ट के विरुद्ध पूरा सामान दे दिया गया है तथा 89 इण्डेन्ट मे कुछ सामान दिया जाना शेष है। प्रबन्ध निदेशक ने अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार) को निर्देश दिया कि सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वाञ्चल विकास निधि, सरकारी नलकूप, निजी नलकूप, पेयजल योजना, जमायोजना, बिजनेस प्लान, डा0 राममनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना में 31 मार्च, 2013 तक सामग्री हेतु प्राप्त इण्डेन्ट में जो सामग्री अभीतक निर्गत नहीं किये गये है उसे अविलम्ब निर्गत किये जाये।

प्रबन्ध निदेशक ने बैठक में बताया कि अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लखनऊ ने परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता में कमी लाने हेतु निर्देश तथा कई सुझाव दिये है जिसका अनुपालन किया जाना आवश्यक है, अनुपालन आख्या प्रत्येक सप्ताह पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम मुख्यालय को भेजा जाना आवश्यक है।

प्रबन्ध निदेशक ने बैठक में गोरखपुर क्षेत्र के नगरीय विद्युत वितरण मण्डल, गोरखपुर(थ्रू रेट- तीन रूपये तिरानबे पैसे) के अच्छे थ्रू रेट के लिए प्रशंसा की तथा इलाहाबाद क्षेत्र के नगरीय विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम (थ्रू रेट- दो रूपये इक्कीस पैसे) व द्वितीय, (थ्रू रेट- दो रूपये बावन पैसे)इलाहाबाद, आजमगढ़ क्षेत्र के विद्युत वितरण मण्डल,आजमगढ़ (थ्रू रेट- इक्यासी पैसे) के अधीक्षण अभियन्ताओं को कड़ी चेतावनी दी। प्रबन्ध निदेशक ने देवरिया मण्डल, इलाहाबाद नगर व ग्रामीण मण्डल के अधीक्षण अभियन्ताओं को खराब राजस्व वसूली के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि 30 जून, 2013 तक अपने राजस्व वसूली व थ्रू रेट को पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छी बढ़ोत्तरी करे अन्यथा दण्ड भुगतने को तैयार रहे।

प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम में कुल 960438 मीटर्ड उपभोक्ता है तथा इनमे 165814 उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित मीटर इनफार्मेटिव डिफेक्टिव (आई0डी0एफ0),एपीयर्स डिफेक्टिव (ए0डी0एफ0), रीडिंग डिफेक्टिव (आर0डी0एफ0) के कारण मीटर खराब है। इनमें से 5 किलोवाट से उपर के 8109 उपभोक्ताओं के परिसर में आई0डी0एफ0/ए0डी0एफ0/आर0डी0एफ0 के कारण मीटर खराब है जिसमें से 5684 उपभोक्ताओं के यहा मीटर बदले जाना शेष है। 5 किलोवाट से नीचे के 126445 उपभोक्ताओं के परिसर में आई0डी0एफ0/ए0डी0एफ0/आर0डी0एफ0 के कारण मीटर खराब है जिसमें से 118049 उपभोक्ताओं के यहा मीटर बदले जाना शेष है। प्रबन्ध निदेशक ने इस बिन्दु पर समस्त अधीक्षण अभियन्ता(वितरण) को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द खराब मीटरों को बदला जाये।

प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि सरकारी कालोनियों में विद्युत की मीटरिंग कराने एवं विद्युत बिल को जमा कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन अत्यन्त गम्भीर है। प्रबन्ध निदेशक ने कहा कि सरकारी कालोनियों में निवास कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विद्युत बिलो का समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे वित्तीय क्षति तो हो रही है साथ ही सामान्य जनता के दृष्टि में सरकारी कार्मिकों के आचरण के सम्बन्ध में गलत संदेश भी जा रहा है, जो कदापि उचित नहीं है तथा सरकारी कार्मिकों का दायित्व है कि वे शासकीय नियमों का पालन करे। प्रबन्ध निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-55 में मीटर के प्रयोग का प्राविधान है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक सप्लाय कोड-2005 के चैप्टर-5 में विद्युत कनेक्शन/सप्लाय हेतु मीटरिंग की व्यवस्था है। इस प्रकार बिना मीटर के विद्युत की आपूर्ति लेना विद्युत की चोरी है और यह कृत्य विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-135 के अन्तर्गत दण्डनीय भी है। प्रबन्ध निदेशक ने समस्त मुख्य अभियन्ता(वितरण) को निर्देश दिया कि सरकारी कालोनियों में विद्युत की मीटरिंग कराने एवं विद्युत बिल के सम्बन्ध में शासन के निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करे व प्रत्येक सप्ताह अपनी अनुपालन आख्या निगम मुख्यालय को अवश्य भेजे।

बैठक में प्रमुख रूप से सर्वश्री आलोक कुमार,आई0ए0एस0,प्रबन्ध निदेशक एम0एल0शर्मा, निदेशक(तकनीकी), सुधांशु द्विवेदी, निदेशक(वित्त), वी0के0 श्रीवास्तव मुख्य अभियन्ता(वितरण), गोरखपुर एवं बस्ती, राजेन्द्र प्रसाद मुख्य अभियन्ता(वितरण), आजमगढ़, ए0के0 वर्मा, मुख्य अभियन्ता (वितरण),मिर्जापुर, ए0के0 सिंह, मुख्य अभियन्ता (वितरण) , इलाहाबाद, एस0पी0 त्रिपाठी, सलाहकार(प्रबन्ध निदेशक), बी0के0 सिन्हा, मुख्य अभियन्ता(प्रशासन), आर0पी0 सिंह, मुख्य अभियन्ता(सामग्री प्रबन्ध), एस0सी0 रस्तोगी, अधीक्षण अभियन्ता(भण्डार), राकेश सिन्हा, अधिकृत प्रवक्ता(प्रबन्ध निदेशक), व अन्य उपस्थित थे।